नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
६-६-२४	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक २०-६-२४ को पेश हो।	
२०-६-२४	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक ५-७-२४ को पेश हो।	
५-७-२४	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। बहस समाप्त पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक २३-७-२४ को पेश हो।	
२३-७-२४	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज आदेश सुनाए जाने हेतु पेश हुई। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 38/2017
दायरा दिनांक 18.07.2017

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

1. रामेश्वर आ0 श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी माल की झोपडिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. आत्माराम आ0 श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी माल की झोपडिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. मोहन लाल आ0 श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी माल की झोपडिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. हजारी लाल आ0 श्री केसरी लाल जाति मीणा निवासी माल की झोपड़िया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. जगन्नाथ आ0 श्री केसरी लाल जाति मीणा निवासी माल की झोपड़िया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी जर्ये प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद – अधिकार घोषणा पत्र व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,92 क आ0टी0एक्ट
आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
अधिवक्ताः– 1. श्री बालालाल बीडा (अधिवक्ता वादीगण)
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 4(अनुपस्थित)

दिनांकः–23.07.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89,92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 3999 रकबा 1.93है0, खसरा संख्या 4000 रकबा 0.05है0, खसरा संख्या 4001 रकबा 2.10है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.08है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वर्तमान में उक्त कृषि भूमिया राजस्व रिकार्ड में सरकार खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम लाखेरी सम्वत् 2068–71 संलग्न है। उक्त कृषि भूमियों के पुराने ख.सं 267 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा था, सेटलमेंट से पूर्व ख.सं. 158 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा था जिसका नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा लाखेरी तहसील के0पाटन सम्वत् 2022 से 2041 संलग्न है। कृषि भूमि खसरा संख्या 158 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम लाखेरी कला तहसील के0पाटन के खातेदार कृषक वादीगण के दादा केसरा वल्द रामचन्द्र जाति मीणा निवासी लाखेरी माल की झोपडिया थे। उक्त खसरा के सम्वत 2022 के पूर्व ख.सं. 1582 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा था जिसकी नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–2024 संलग्न है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में वादीगण के दादाजी के जीवनकाल में एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 175 आरटीएक्ट की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के यहां की थी जिसमें न्यायालय के आदेश दिनांक 22.10.1983 को उक्त भूमि को राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश कर दिये। उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 566 दिनांक 28.03. 1984 को उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज कर दी। नामा0 संख्या 566 नकल संलग्न है। उक्त नामान्तकरण के आधार पर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2044–56 संलग्न है। वादीगण के दादाजी केसरी लाल की मृत्यु के पश्चात् उनका फौती नामा0 संख्या 344 के द्वारा उक्त कृषि भूमि उनके पुत्र चतुर्भुज, हजारीलाल, सूरजमल व जगन्नाथ के नाम दर्ज हुई थी। जबकी फौती नामान्तकरण वसीयत के आधार पर केवल वादीगण के पिता श्री चतुर्भुज के नाम ही खुलना चाहिए था। वादीगण के पिता ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के आदेश दिनांक 22.10.1983 व 27.04.1984 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी जिसमें बोर्ड के निर्णय दिनांक 21.04.1989 के द्वारा आदेश दिनांक 22.10.1983 व 27.04.1984 को निरस्त कर दिया गया है। जिसके पश्चात् वादीगण के पिता श्री चतुर्भुज द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व्यवहार प्रकरण संख्या का प्रस्तुत कर भूमि वापिस खातेदार के खातेदारी में अंकित करने हेतु निवेदन किया जिसमें सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट केशोराय पाटन द्वारा दिनांक 18.03.1998 को स्वीकार किया जाकर भूमि वापस निगरानी कर्ताओं की खातेदारी में अंकित करने का आदेश दिया लेकिन राजस्व अधिकारियों ने अंकित नहीं की। धारा 175 टीनेन्सी एक्ट की कार्यवाही माननीय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा दिनांक 07.03.2007 को खारिज कर दी गई है। वादीगण के पिता चतुर्भुज की सेवाओं से प्रसन्न होकर वाद विषयक कृषिभूमि वाके ग्राम लाखेरी की वसीयत दिनांक 05.12.1976 को वादीगण के दादा ने उनके पिता चतुर्भुज के नाम कर दी थी। वादीगण के दादा की मृत्यु दिनांक 08.01.1977 को हुई थी। तब ही से वादीगण के पिता चतुर्भुज काबिज काश्त चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त है। केसरी लाल जी के द्वारा दिनांक 05.12.1976 की वसीयतनामा निष्पादित करने के पश्चात् केसरीलाल जी के अन्य वारिसान उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई अधिकार कृषि भूमि में निहित नहीं है। वादीगण के दादाजी केसरीलाल की मृत्यु के पश्चात् उनका फौती नामा0 सं 344 उनके पुत्र चतुर्भुज, हजारी लाल, सूरजमल व जगन्नाथ के नाम खुल गया। वादीगण उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड से विलोपित कराने का पूर्ण अधिकारी है। उक्त कृषि भूमियां नामान्तकरण संख्या 566 के द्वारा सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है जबकी जिस आदेश से दर्ज है वह अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। प्रतिवादी सं 3 राज्य सरकार द्वारा वादीगण के पिता को धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के कई नोटिस दिये गये जो अवैधानिक है। प्रतिवादी सं 3

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उक्त कृषि भूमियों को अन्य व्यक्तियों को आवंटन करने पर आमादा है जबकी वर्तमान में कब्जा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण को अधिकार है कि उक्त कृषि भूमि पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारान में स्वयं का नाम दर्ज करावें। वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से नाम अंकित कराने का मौखिक निवेदन किया किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। अन्तिम बार निवेदन दिनांक 02.06.2017 को किया गया किन्तु वादीगण का नाम का अंकन नहीं किया गया यही वाद कारण है जो नियमित रूप से पैदा हो रहा है। अन्त में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 3999 रकबा 1.93है0, खसरा संख्या 4000 रकबा 0.05है0, खसरा संख्या 4001 रकबा 2.10है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.08है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज सरकार खातेदार का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में वादीगण के साक्ष्य करवाए गये। वादीगण ने पी0डब्लू01 मोहनलाल का साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर बयान करवाये गये। गवाह पी0डब्लू02 सीताराम, पी0डब्लू03 बिरधीलाल के बयान कलमबद्ध करवाये गये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 असल अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 05.12.1976 प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षेत्रफल 1995–2015, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2024–2047, प्रदर्श–5 नकल नामान्तकरण संख्या 566 दिनांक 20.03.1984, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी सम्वत् 2039–2042, प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031–34, प्रदर्श–8 नकल मिलान क्षेत्रफल सन् 2022–47, प्रदर्श–9 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–24, प्रदर्श–10 आदेश दिनांक 07.03.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, प्रदर्श–11 नोटिस दिनांक 12.05.2014 नायब तहसीलदार लाखेरी, प्रदर्श–12 नोटिस दिनांक 11.03.2015 नायब तहसीलदार लाखेरी, प्रदर्श–13 नोटिस दिनांक 17.03.2007 नायब तहसीलदार लाखेरी, प्रदर्श–14 नोटिस 91 एलआर एक्ट दिनांक 20.03.1995, प्रदर्श–15 नोटिस दिनांक 19.10.2000, प्रदर्श–16 खसरा परिवर्तन सम्वत् 2070 ग्राम लाखेरी, प्रदर्श–17 नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2070, प्रदर्श–18 नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2072, प्रदर्श–19 नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2072, प्रदर्श–20 नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2052, प्रदर्श–21 नोटिस 91 एलआर एक्ट दिनांक 20.02.1995 प्रदर्श करवाये गये।

हमारे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित बिन्दुओं का दौहराव करते हुए तर्क दिया कि वाद विषयक आराजी वादीगण के दादा जी केसरा आ0 रामचन्द्र के खाते की है लेकिन धारा 175 आरटीएक्ट की कार्यवाही के आधार पर दिनांक 22.10.1983 को सिवायचक दर्ज कर दिया और नामान्तकरण संख्या 566 दिनांक 28.03.1984 से राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक के रूप में दर्ज कर दी गई तत्पश्चात् वादीगण के पिता ने राजस्व बोर्ड अजमेर में आदेश दिनांक 22.10.1983 व 27.04.1984 के वरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 21.04.1989 को किया जाकर आदेश दिनांक 22.10.1983 व 27.04.1984 को निरस्त कर दिया जिसके बाद वादीगण के पिता ने धारा 144 जा0दी0 की कार्यवाही पेश की गई जिसके निर्णय दिनांक 21.04.1998 को वापस खाते लगाने का

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

आदेश कर दिया लेकिन खाते नहीं लगाई गई इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक इन्द्राज का कोई कानूनी औचित्य नहीं रहा। वादीगण के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा कि वादीगण के दादा जी केसरा जी ने अपने जीवनकाल में वाद विषयक आराजी की अन्तिम वसीयत दिनांक 05.12.1976 को वादीगण के पिता चतुर्भुज के पक्ष में रूबरू गवाहान की गई और केसरा का स्वर्गवास दिनांक 08.01.1997 को हो गया है इस कारण वादीगण के पिता चतुर्भुज केसरा के द्वारा की गई वसीयत के आधार पर स्वतः ही खातेदार कृषक हो गया था तथा चतुर्भुज की मृत्यु के बाद वादीगण खातेदार हो गये। केसरा की मृत्यु के बाद जो फौती नामान्तकरण खोला गया वह गलत है नामान्तकरण वसीयत के आधार पर खौला जाना चाहिए था वादीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि वसीयत करने के बाद यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर वसीयत के आधार पर फौती नामान्तकरण तस्दीक किया जता है। वादीगण के अधिवक्ता का कथन रहा कि वाद विषयक आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। वसीयत सादा कागज पर लिखी जा सकती है स्टाम्प व पंजीयन की कोई कानूनन आवश्यकता नहीं है। उन्होनें अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 2005 गुजरात Page no. 177, DNJ RAJ 2000-2001 Page no. 245, 2018(2) R.R.T. Page no 848, RLW2008(2) Page no. 1047 पेश किए। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा प्रदर्श 10 का अवलोकन किया मृतक केसरा द्वारा पुराना खसरा संख्या 267 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा की अन्तिम वसीयत वादीगण के पिता चतुर्भज के पक्ष में रूबरू गवाहान निष्पादित की गई और वसीयत के गवाहान ने भी वसीयत को पूर्णतया साबित किया है। अब हमारे मतानुसार जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 वाके ग्राम लाखेरी कलां प्रदर्श 6 में खातेदार केसरा आ0 रामचन्द्र कौम मीना साकिन देह खातेदार दर्ज है जिसके खसरा संख्या 267 रकबा 26बीघा 10 बिस्वा दर्ज है इस कारण केसरा को इस आराजी की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था जिसका उपयोग करते हुए अन्तिम वसीयत वादीगण के पिता के पक्ष में की गई थी इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मृतक केसरा द्वारा वाद विषयक आराजी की अन्तिम वसीयत दिनांक 05.12.1976 को वादीगण के पिता चतुर्भुज के पक्ष में किया वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित साक्ष्य सबूत से पूर्णतया प्रमाणित होता है हमारे मतानुसार केसरा की मृत्यु के बाद जो फौती नामान्तकरण वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया वह नामान्तकरण वसीयत के आधार पर प्रारम्भ से शून्य एवं प्रभावहीन है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1 अप्रेल 1995 से 31 मार्च 2015 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 246 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा से नये खसरान 3999 रकबा 1.93है0, खसरा संख्या 4000 रकबा 0.05है0, खसरा संख्या 4001 रकबा 2.10है0 बने है। जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 में खसरा संख्या 267 वाके ग्राम लाखेरी का धारा 175 आरटीए के तहत् सरकारी भूमि होना अंकित है। धारा 144 जा0दी0 के तहत् जो आदेश दिनांक 18.03.1998 को पारित हुआ उसके पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में यदि राजस्व अधिकारियों की गलतीवश सिवायचक इन्द्राज हो रहा है उसका विधिक औचित्य नहीं होना पाया जाता है वादीगण के पिता मृतक केसरा की मृत्यु पश्चात् वसीयत के आधार पर चतुर्भुज की हेसियत खातेदार कृषक की हो गई थी और चतुर्भुज की मृत्यु के बाद

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रतिवादीगण वाद विषयक आराजी के खातेदार कृषक हो गये है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र व वादीगण द्वारा प्रदत्त साक्ष्य का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया इस कारण वादीगण के वाद पत्र व साक्ष्य सबूत को अविश्वसनीय नहीं होना पाया जाता है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना हमारे लिए उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा संख्या 3999 रकबा 1.93है0, खसरा संख्या 4000 रकबा 0.05है0, खसरा संख्या 4001 रकबा 2.10है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.08है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ का खातेदार कृषक घोषित किये जाता है तथा वर्तमान रिकॉर्ड सरकार खातेदार को विलोपित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार के स्थान वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का वाद विषयक आराजी पर कोई अधिकार साबित नहीं होने से उन्हें जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा नहीं करें। रहन संबंधी इन्द्राज बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....लाखेरी.....
व इजलास.....श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस).....
.....

1. रामेश्वर आ0 श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी माल की झोपडिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. हजारी लाल आ0 श्री केसरी लाल जाति मीणा निवासी माल की झोपड़िया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 38/दावा/2017

दावा बाबत 88,89,92 क आर0टी0एक्ट

सन् .....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री बालालाल बीडा .....मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा संख्या 3999 रकबा 1.93है0, खसरा संख्या 4000 रकबा 0.05है0, खसरा संख्या 4001 रकबा 2.10है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.08है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ का खातेदार कृषक घोषित किये जाता है तथा वर्तमान रिकॉर्ड सरकार खातेदार को विलोपित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार के स्थान वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का वाद विषयक आराजी पर कोई अधिकार साबित नहीं होने से उन्हें जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा नहीं करें। रहन संबंधी इन्द्राज बदस्तुर जमाबंदी रहेगा।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा
इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 07 सन् 2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

बउनवान

2. आत्माराम आ0 श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी माल की झोपडिया तहसील इन्द्र... बून्दी, राजस्थान।
3. मोहन लाल आ0 श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी माल की झोपडिया तहसील इन्द्रगढ़ ... बून्दी, राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

2. जगन्नाथ आ0 श्री केसरी लाल जाति मीणा निवासी माल की झोपड़िया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी जर्ये प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)